Rs.20 कोर्ट फीस COURT FEE INDIA 20रु. भारत TWENTY RUPEES बीस रुपये

10रु. Rs.10 INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

444

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमांक /एक/2017 दिनांक– /01/2017

अमृतलाल यादव तनय राजधर यादव , R 253-I-17

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

..................आवेदक

वनाम

1– प्रकाश, 2– रामचरण, 3– जयराम, 4– सुखराम,

सभी पुत्रगण राजधर यादव,

दिनांक 18-1-17 को श्रीमती ... अधिवक्ता ... द्वारा प्रस्तुत

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक 14, दिनांक 25/06/2011 पर तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/07/2011 से परिवेदित होकर तथा ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा कमांक 220/1 रकवा 0.405 हैक्टेयर पर पूर्ववत अपना नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित कराने वावद प्रस्तुत कर रहा है।

18-1-17

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा नंबर 167/2/1 रकवा 1.087 हैक्टर में से आवेदक के पिता राजधर तनय हल्के यादव के नाम 2/3 हिस्सा यानि 0.724 हैक्टेयर तथा आवेदक के नाम पर 1/3 हिस्सा यानि कि 0.362 हैक्टेयर भूमि पर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थी, । खसरा नंबर 167/2/1 वर्ष 2010–11 तक उपोक्तानुसार आवेदकगण के नाम दर्ज रहा । जिसके उपरांत दिनांक 28/03/2011 को राजधर यादव द्वारा एक रजिस्टर्ड बिकय पत्र आवेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –निग.-253-एक/2017

जिला-टीकमगढ़

अमृतलाल यादव विरूद्ध प्रकाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़, जिला-टीकमगढ़ के नामांतरण पंजी क्रमांक 14 दिनांक 25-06-2011 में पारित आदेश दिनांक 20-7-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका	

का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 28/1/19